

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

परिवहन मार्ग, मुख्यालय जयपुर।

निगम की लगभग 3000 ब्लू लाइन साधारण एवं द्रुतगामी वाहनों के बैक पैनल (जिनमें निगम द्वारा अनुबंध पर ली गई बसें भी शामिल हैं) पर विज्ञापन हेतु ई-बोली
क्रमांक:-एफ 159-II / मु०/प्रशा/वि.के./2020/ 317
ई-बोली सूचना संख्या 02/2020-21
दिनांक:- 29/09/2020

निगम की लगभग 3000 ब्लू लाइन साधारण एवं द्रुतगामी वाहनों के बैक पैनल (जिनमें निगम द्वारा अनुबंध पर ली गई बसें भी शामिल हैं) पर विज्ञापन हेतु ई-बोली के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में ऑन लाइन बोलियां आमंत्रित की जाती हैं। बोली से संबंधित विवरण वेबसाइट www.rsrtc.rajasthan.gov.in व <http://eproc.rajasthan.gov.in> एवं स्टेट पोर्टल (SPPP) पर देखें।
इस बोली से संबंधी विवरण निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	बोली संबंधी विवरण	दिनांक एवं समय
1	बोली सूचना जारी होने की तिथि	30.09.2020
2	बोली प्रपत्र शुल्क (Financial Advisor RSRTC को देय) payable at Jaipur	400/-
3	धरोहर राशि (Financial Advisor RSRTC को देय payable at Jaipur)	7,50,000/-
4	बोली प्रोसेसिंग शुल्क MD RISL Jaipur को देय	1,000/-
5	बोली प्रपत्र हेतु आवेदन/डाउनलोड करने की अवधि	01.10.2020 से 22.10.2020 प्रातः 11:00 बजे तक
6	प्री-विड दिनांक	13.10.2020 समय 12.30 बजे
7	बोली प्रस्ताव खोले जाने की दिनांक (तकनीकी बोली)	22.10.2020 साथ 15:30 बजे

नोट:-

1. बोली की समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन होगी एवं इस कार्य हेतु न्यूनतम आरक्षित दर 1000/- + जीएसटी अतिरिक्त प्रतिबंध प्रतिमाह होगी।
2. बोली खोलने की तिथि को किसी कारणवश कोई अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय बोलियां खोली जाएंगी।
3. बोली दाता निगम की लगभग 3000 ब्लू लाइन साधारण एवं द्रुतगामी वाहनों के बैक पैनल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु ई-बोली के माध्यम से बोली प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है।
4. बोली प्रपत्र में डाउनलोड/आवेदन करते समय बोली शुल्क 400/- रुपये एवं धरोहर राशि 7,50,000/- रुपये की डी डी सख्त दिनांक एवं बैंक का नाम व ब्रांच का विवरण अंकित कर संलग्न करनी होगी।
5. बोली दाता द्वारा बोली शुल्क/प्रोसेसिंग शुल्क/धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट इस कार्यालय में दिनांक 22.10.2020 को साथ 15:00 बजे तक जमा कराना आवश्यक है।
6. कोई भी बोली इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराने में किसी कारणवश लेट होता है तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
7. बोली में भाग लेने वाले बोली दाताओं को इन्टरनेट साइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर करयाना होगा। ऑन लाइन बोली में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इन्फॉरमेशन एण्ड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रॉनिक बोली में साइन करने हेतु काम आयेगा। बोली दाता उपरोक्त डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सी सी ए (C.C.A.) द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन बोलीदाताओं के पास वैध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, उनको नया डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
8. बोलीदाता द्वारा बोली शुल्क एवं धरोहर राशि Financial Advisor RSRTC Payable at Jaipur को डी डी द्वारा जमा करानी होगी। बोली प्रोसेसिंग शुल्क MD RISL Jaipur के नाम डी डी देय होगी। यदि बोलीदाता द्वारा दिनांक 22.10.2020 को 15:00 बजे तक उक्त डी डी प्रस्तुत नहीं की जाती है तो प्रस्ताव मान्य नहीं होगा।
9. बोली दाताओं को बोली प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फोरमेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा जिसके प्रस्ताव डिजिटल साइन के साथ नहीं होगे उनके प्रस्ताव रखीकार नहीं किये जाएंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले भाँतिक फार्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
10. इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रपत्रों को जमा करने से पूर्व बोलीदाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि बोली प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी बोली प्रपत्रों के साथ अटेच कर दी गयी है।
11. ऑनलाइन बोलियां निर्धारित दिनांक एवं समय पर खोली जायेगी।
12. बोली के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाइन दर्ज करायें।


कार्यकारी निदेशक(प्रशासन)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

प्रकाश
निगम

परिवहन मार्ग, मुख्यालय जयपुर

निगम की लगभग 3000 ब्लू लाइन साधारण एवं द्रुतगामी वाहनों के बैंक पैनल (जिनमें निगम द्वारा अनुबन्ध पर ली गई बसों भी शामिल हैं) पर विज्ञापन प्रदर्शन की बोली हेतु शर्तेः—

1. निगम बसों पर निम्नानुसार विज्ञापन प्रदर्शन हेतु अधिकतम् स्थान उपलब्ध होगा।

कम संख्या	विज्ञापन का स्थान	विज्ञापन का साइज
1	बसों के पीछे बैंक पैनल पर	$2.5' \times 4' = 10$ वर्गफुट अधिकतम्

नोटः

- (अ) निगम को बसों की संख्या में परिवर्तन, बसों की संख्या को एक से अधिक बोली दाताओं में वितरित करने, बसों की परिमाण संख्या में वृद्धि करने का अधिकार होगा। ऐसी व्यवस्था हेतु RTPP Act. 2012 & Rules 2013 के नियम संख्या 73 एवं 74 के प्रावधान लागू होंगे।
- (ब) निगम को बोली प्रपत्रों में दर्शायी गई बसों की अनुमानित संख्या के अतिरिक्त बसों पर अपने स्तर से भी विज्ञापन लगाये/लगावाये जाने का अधिकार होगा।

2. बोलीदाता/कम्पनी/संस्था को कम्पनी अधिनियम अथवा आवश्यक कानून के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है तथा प्रमाण पत्र की प्रति भी संलग्न करनी होगी। बोलीदाता/कम्पनी/संस्था(बोली दाता) को जहां पर उसके द्वारा विज्ञापन का कार्य किया गया है उस संस्था/कम्पनी आदि के द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति (कार्यादेश एवं अनुबन्धों की प्रति भी संलग्न करना आवश्यक है) व तीन वर्ष की आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि बोली प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी। बोलीदाता फर्म का गत तीन वर्षों में से किसी एक वर्ष में 50 लाख का टर्न ओवर होना आवश्यक है जिसका प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। यदि बोलीदाता/कम्पनी/संस्था (बोलीदाता) द्वारा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किये जाते हैं अथवा प्रदत्त सूचना असत्य और अपूर्ण पाई जाती है तो इसे आर टी पी पी रॉल्स 2013 के निर्देशानुसार (नियमानुसार) अयोग्यता मानते हुए उनके प्रस्ताव (बोली) को निरस्त/अस्वीकार करने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा। स्टार्टअप उद्यमियों को राज्य सरकार की अधिसूचना सं. एफ 2(1) एफ.डी./एफ.पी.एफ.सी./2017 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत अनुभव व टर्न ओवर में छूट दी जावेगी।

3. बोली के साथ धरोहर राशि 7,50,000/- रूपये (अक्षरे सात लाख पचास हजार रु.मात्र) की डी डी/बैंकर्स चैक के रूप में Financial Advisor RSRTC को देय payable at Jaipur के नाम से संलग्न करनी होगी। चैक एंव नकद राशि किसी भी अवरथा में मान्य नहीं होगी। यह राशि जमान होने की दशा में बोली स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। यह राशि प्राप्त बोलियोंपर स्वीकृति हेतु निर्णय होने तक निगम कोष में जमा रहेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा अस्वीकृत बोलियों की राशि बोलियों पर अन्तिम निर्णय होने के उपरान्त ही बिना ब्याज के लोटायी जावेगी।

4. निगम द्वारा जो प्रस्ताव स्वीकार किये जावें उन्हें इस आशय की सूचना प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर—भीतर सुरक्षा राशि के रूप में बसों की संख्या X अनुमोदित दर राशि X 24 माह के 2½% की बैंक गारंटी (शिड्यूल बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक) राशि डीडी/बैंकर्स चैक के रूप में जमा करानी होगी जो कि अनुबन्ध समाप्त होने के चार माह बाद तक की अवधि तक विधि मान्य होगी एवं निगम द्वारा प्रस्तुत अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर कर अनुबन्ध करना होगा। यह राशि धरोहर राशि रूपये 7,50,000/- रूपये के अतिरिक्त होगी तथा यह दोनों राशियां निगम कोष में बिना ब्याज जमा रहेगी, जो अनुबन्ध की शर्तों की समुचित पालना के पश्चात् एवं अनुबन्ध अवधि पूर्ण होने पर बिना ब्याज के लौटायी जावेगी। यदि बोलीदाता प्रस्ताव स्वीकृति की सूचना प्राप्त समाप्त होने पर बिना ब्याज के लौटायी जावेगी। यदि बोलीदाता प्रस्ताव स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के 15 दिवस में निर्धारित सुरक्षा राशि जमा नहीं करता है एवं निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध नहीं करता है तो उसके द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि निगम द्वारा जब्त कर ली जावेगी। नहीं करता है तो उसके द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि निगम में प्रस्तुत करने एवं अनुबन्ध पत्र निष्पादित करने के सुरक्षा राशि के रूप में बैंक गारंटी निगम में प्रस्तुत करने एवं अनुबन्ध पत्र निष्पादित करने के पश्चात् ही बोलीदाता को निगम की बसों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु लाइसेंसी को नियुक्ति का कार्यादेश जारी किया जावेगा अन्यथा नहीं।

5. कार्यादेश में दर्शायी गई कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक से पिछले माह की अन्तिम तारीख को संचालित रही बसों की संख्या के आधार पर प्रति वाहन प्रति माह की निर्धारित दर के अनुसार अंकी गई कुल राशि निर्धारित माह की लाइसेंस फीस कहलायेगी, जिसका भुगतान प्रति तिमाही अग्रिम तिमाही के प्रथम माह की 10 तारीख तक लाइसेंसी द्वारा निगम को किया जावेगा। किसी

राज्य सरकार/संस्थान एवं स्थानीय निकाय द्वारा विज्ञापन हटाने पर लाइसेंस फीस में किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जावेगी।

6.

निगम की वाहनों पर विज्ञापन प्रारम्भ करने के एकज में लाइसेंसी को निगम में अनुबन्ध अवधि में उक्त सूचित की गई वाहनों की संख्या पर निर्धारित दर के अनुसार लाइसेंस फीस जमा करानी होगी। लाइसेंस फीस की दर एक बार लागू होने की तिथी से एक वर्ष तक वही सूचना तथ्यवात प्रत्येक आगामी वर्ष के लिए इस दर में 10 प्रतिशत वक़्व़दिं कढ़ातशी की जावेगी। इन वृद्धि दरों के अनुसार ही लाइसेंसी निर्धारित समरत वाहनों के लिए लाइसेंस शुल्क जमा करायगा। इसके पश्चात् लाइसेंस फीस जमा नहीं होने पर जमा होने तिथी तक 500/- रुपये प्रतिदिन शास्ति राशि अतिरिक्त जमा करानी होगी। लाइसेंस फीस अधिक जरिये बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफट/आरटी जी एस द्वारा निगम कोष में जमा करानी होगी। निगम का आरटी जी एस नम्बर निम्नानुसार है:-

Beneficiary	R.S.R.T.C
Account No	677405000011
Beneficiary bank	ICICI Bank Ltd
Beneficiary branch	Parivahan Marg, Jaipur-302001
Beneficiary RTGS Code	ICIC 0006774
Amount to be remitted	

7.

निर्धारित साइज से अधिक साइज के विज्ञापन प्रदर्शित किया जाना अनुमत नहीं होगा।

8.

स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं अथवा सरकार द्वारा विज्ञापनों पर प्रदाय किये जाने वाले समस्त प्रकार के कर/प्रभार/माल एवं सेवाकर आदि जमा कराने की जिम्मेदारी लाइसेंसी की होगी। करवंचना के किसी भी मामले में निगम पार्टी नहीं होगा तथा किसी प्रकार के कर/प्रभार/शुल्क/शास्ति आरोपित होने की दशा में समरत दायित्व लाइसेंसी का होगा। यह राशि लाइसेंसी द्वारा जमा नहीं कराये जाने की रिथ्ति में लाइसेंसी की जमा सुरक्षा राशि/धरोहर राशि में से इसका भुगतान कर दिया जावेगा जिसका पुनर्भरण लाइसेंसी द्वारा 15 दिवस के भीतर-भीतर करना होगा।

9.

अनुबन्ध की कुल अवधि दो वर्ष की होगी। दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् दोनों पक्षों के मध्य किसी प्रकार का विवाद/न्यायिक प्रकरण एवं लाइसेंस शुल्क वकाया नहीं होने की रिथ्ति में दोनों पक्षों की सहमति से अंतिम वर्ष के देय लाइसेंस शुल्क में न्यूनतम् 20 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए **RTPP Act. 2012 & Rules 2013** के नियमानुसार अनुबन्ध का नवीनीकरण किया जा सकता है जिसका निर्णय लेने हेतु निगम स्वतंत्र होगा।

10.

लाइसेंस अवधि में निगम के पास बिना कारण बताये किसी भी समय लाइसेंसी को 30 दिवस का नोटिस जारी कर अनुबन्ध पत्र निरस्त करने का अधिकार होगा एवं इसकी कोई क्षतिपूर्ति लाइसेंसी को देय नहीं होगी। यदि लाइसेंसी द्वारा अनुबन्ध समाप्त किया जाता है तो उसे लाइसेंस प्रारम्भ होने की दिनांक के एक वर्ष पश्चात् 3 माह पूर्व सूचना निगम को देनी होगी। 3 माह पूर्व सूचना नहीं देने की रिथ्ति में लाइसेंसी की जमा धरोहर एवं सुरक्षा राशि निगम द्वारा जब्त कर ली जावेगी।

11.

लाइसेंस की अवधि समाप्ति पर लाइसेंसी को वाहनों पर लगाये गये समस्त विज्ञापन हटाने होंगे तथा पूर्व मूल रंग रोगन व गुणवत्ता का पेंट लाइसेंसी को पन्द्रह दिवस में अपने खर्च से करना होगा। ऐसा नहीं करने पर अर्थात् लाइसेंस अवधि समाप्ति पर समस्त विज्ञापन नहीं हटाये जाते हैं व निगम द्वारा अपने स्तर पर समस्त विज्ञापन हटाकर मूल रंग-रोगन करवाया जाता है तो उसमें हुआ समस्त व्यय लाइसेंसी की धरोहर व सुरक्षा राशि/बैंक गारन्टी से वसूल किया जा सकेगा। साथ ही अनुबन्ध अवधि के पश्चात् विज्ञापन नहीं हटाये जाने पर जब तक विज्ञापन नहीं हटाए जाएंगे तब तक निगम द्वारा लाइसेंस फीस की वसूली की जावेगी।

12.

लाइसेंसी द्वारा लाइसेंस फीस निर्धारित तिथी के 15 दिवस तक जमा नहीं कराये जाने पर निगम लाइसेंसी के लाइसेंसी के समस्त विज्ञापन हटा सकेगा तथा विज्ञापन सामग्री आदि बिना किसी नोटिस के लाइसेंसी के समस्त विज्ञापन हटा सकेगा तथा विज्ञापन सामग्री आदि जब्त कर सकेगा तथा लाइसेंस रद्द कर सकेगा एवं बकाया राशि धरोहर राशि/सुरक्षा राशि में से वसूल की जा सकेगी। जब्त सामग्री को वसूली हेतु नीलाम करने के लिये निगम स्वतंत्र होगा।

13.

लाइसेंसी द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि व सुरक्षा राशि में से निगम द्वारा किसी क्षतिपूर्ति की वसूली की जाती है तो यह राशि निगम द्वारा जब्त की गई तिथी से 7 दिवस के भीतर-भीतर

पुनः जमा करानी होगी अन्यथा लाइसेंस स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

14.

लाइसेंसी इस अनुबन्ध को किसी अन्य दूसरे विज्ञापन संस्थान को या व्यक्ति को न तो किराये पर ही देगा और न ही सवलेट/हरतान्तरण करेगा।

15.

यदि राज्य/केन्द्र सरकार या निगम को अपनी किसी सूचना का प्रदर्शन करने की आवश्यकता दुई तो वह उक्त वाहनों पर विज्ञापन हेतु उपलब्ध स्थान के अतिरिक्त स्थान पर उक्त सूचना का

प्रदर्शन कर सकेंगे जिसके लिए लाइसेंसी को किसी प्रकार की छूट लाइसेंस शुल्क में से नहीं दी जावेगी।

16. राज्य सरकार / केन्द्र सरकार या निगम को अनुबन्ध अवधि में अपनी किसी सूचना का प्रदर्शन करने की आवश्यकता हुई तो निगम, सूचना का प्रदर्शन की अवधि में डीएवीपी की दरों से कम दरों पर बसों को उपलब्ध नहीं करवायेगा। जितनी अवधि के लिए / जितनी बसों पर विज्ञापन/सूचना प्रदर्शित की जाती है तो लाइसेंसी की अनुबन्ध की अवधि में आनुपातिक दिवसों की वृद्धि कर मूल अनुबन्ध अवधि में वृद्धि की जाकर पूर्ति की जावेगी। इसमें मूल अवधि तक दरें शर्त संख्या 06 के अनुसार रहेगी तथा मूल अवधि अर्थात् दों वर्ष पश्चात् दरें शर्त संख्या 09 के अनुसार रहेगी ऐसी परिस्थितियों में इस कार्यवाही हेतु निगम द्वारा ऐसे विज्ञापन हटवाये जाने हेतु 15 दिवस का नोटिस दिया जावेगा।
17. लाइसेंसी के विज्ञापन पैनल किसी भी कारण से (चोरी हो जाने/गिर निगम द्वारा किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं की जावेगी।
18. लाइसेंसी को बसों पर विनायल शीट पर निर्मित विज्ञापन ही प्रदर्शित करने होंगे।
19. लाइसेंसी किसी भी प्रकार का अश्लील/केन्द्र/राज्य सरकार/स्थानीय स्वायत्तशासी संरक्षण एंव उल्लंघन पर होने वाली हानि के लिए लाइसेंसी स्वयं जिम्मेदार होगा। लाइसेंसी द्वारा प्रदर्शित होगी एंव अन्य दायित्व की पूर्ण जिम्मेदारी लाइसेंसी की बसों पर विज्ञापन हेतु उपलब्ध स्थान में यदि बसों की डिजाइन या अन्य किसी कारण से कमी/वृद्धि होती है तो इसके लिये दरों में किसी प्रकार का संशोधन निगम द्वारा स्वीकार नहीं होगा।
20. लाइसेंसी द्वारा विज्ञापन आगार कार्यालय में मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक(संचालन) की सहमति से वाहनों पर लगाये जावेंगे एंव प्रबन्धक(संचालन) से वाहनों पर लगाये गये विज्ञापन पैनल से संबंधित बस नम्बर का प्रमाण पत्र लाइसेंसी अपने स्तर से प्राप्त करेगा एंव निगम मुख्यालय को इसकी सूचना देगा।
21. लाइसेंसी को आवश्यकता पड़ने पर बसों पर विज्ञापन/विनायलशीट लगाने हेतु कार्यशाला में प्रबन्धक(संचालन) द्वारा रोशनी की व्यवस्था करा दी जावेगी।
22. अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करने पर लाइसेंसी का लाइसेंस तुरन्त प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार निगम को होगा जिसके लिए नोटिस की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
23. यदि कोई वाहन दुर्घटना/यांत्रिक दोष के कारण संचालन से 15 दिवस से अधिक बाहर रहती है तो लाइसेंसी को लाइसेंस शुल्क में छूट दी जावेगी।
24. निगम द्वारा अनुबन्ध की अवधि में वाहनों पर विज्ञापन करने की सुविधा हेतु लाइसेंसी को 2 अधिकृत व्यक्तियों के लिए निःशुल्क यात्रा पास दिये जावेंगे, जो कि द्रुतगामी एंव साधारण बसों के लिए मान्य होंगे जिनका उपयोग लाइसेंसी केवल अपने विज्ञापन सम्बन्धी सुविधा के लिए ही करेगा। यदि इसमें किसी प्रकार का दुरुपयोग होना पाया जाता है तो विना किसी नोटिस के उक्त सुविधा को समाप्त कर दिया जावेगा, इसं हेतु लाइसेंसी को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि देय नहीं होगी।
25. लाइसेंसी इस अनुबन्ध अवधि में जब भी चाहे उन्हें उपलब्ध कराई गई वाहनों पर उक्त साइज के विज्ञापन लगा सकेगा। लाइसेंसी वाहनों के संचालन में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा एंव कार्यशाला में वाहन उपलब्धता के समय ही विज्ञापन लगाया जा सकेगा।
26. विज्ञापन वोर्डों को लगाने एव उतारने में निगम की वाहनों को किसी प्रकार की क्षति या टूट-फूट/नुकसान होगा तो लाइसेंसी को निगम द्वारा आंकी गई निर्धारित राशि की तुरन्त(15 दिन के भीतर) भरपाई करनी होगी अन्यथा लाइसेंसी द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि/सुरक्षा राशि से उक्त राशि वसूल की जा सकेगी।
27. लाइसेंसी श्रम कानून एंव भविष्य निधि कानून की पूर्ण पालना करेगा। लाइसेंसी द्वारा इस हेतु किसी प्रकार का उल्लंघन किया जावेगा तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
28. वाहन जिस रिस्थिति में होंगे उस रिस्थिति में विज्ञापन हेतु उपलब्ध करवाये जावेंगे जो लाइसेंसधारी को स्वीकार होंगो।
29. लाइसेंसी को समय-समय पर निगम द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना करनी होगी।

31. युद्ध/दंगे/जन विद्रोह/बन्द/हडताल/तालाबन्दी/दुर्घटना या निगम के अंतरिक निर्णय के फलस्वरूप निगम के निर्धारित स्टैण्डों पर वाहनों का संचालन निलम्बन/निरस्त हो जाता है या किया जाता है तो लाइसेंसी को इस आकस्मिक घटना की एवज में किसी प्रकार की छूट या रियायत केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी (**Force Maejure**) क्लाज के अन्तर्गत किये गये निर्णयानुसार होगी।
32. जिस बोलीदाता के प्रस्ताव को निगम द्वारा स्वीकार किया जावेगा उसे निगम के साथ स्वयं के खर्चे पर 15 दिवस के भीतर एक अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा जिसका प्रारूप निगम द्वारा दिया जावेगा। जो लगभग इन्ही शर्तों के अनुरूप होगा।
33. बोली प्रस्ताव ई—बोली के माध्यम से प्रेषित करने होंगे।
34. बोली प्रस्ताव सरल एंव शुद्ध भाषा में हो तथा किसी प्रकार की काट—छाट न हो प्रस्ताव पर संस्थान के मालिक/पार्टनर/अधिकृत व्यक्ति के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिये तथा यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिये कि हस्ताक्षरकर्ता मालिक है या पार्टनर। अधिकृत व्यक्ति अपना पद व हैसियत लिखें साथ ही प्रमाण भी पेश करें।
35. बोलीदाता द्वारा दिये गये कोई भी सशर्त प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार नहीं होंगे।
36. किसी भी बोली को स्वीकृत करना निगम के लिए बाध्यकारी नहीं है तथा किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार निगम को होगा।
37. यदि किसी संस्थान/व्यक्ति/फर्म के विरुद्ध निगम की राशि बकाया/विचाराधीन है तो उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार निगम को होगा।
38. उक्त बोली प्रक्रिया द्विस्तरीय होगी अर्थात् तकनीकी एंवम् वित्तीय बोली अलग—अलग खोली जावेगी। जो बोलीदाता तकनीकी रूप से योग्य पाये जावें उन बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोली खोली जावेगी।
39. बिड प्रक्रिया में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामले के निपटारे के लिए प्रथम अपील सुनने हेतु प्रबंध निदेशक महोदय अधिकृत होंगे। यदि निगम में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एक ही पद हो तो प्रथम अपील सुनने हेतु निम्नुसार कमेटी गठित की जावेगी:—
- क. वित्तीय सलाहकार,
 - ख. कार्यकारी निदेशक(विधि)
- तथा द्वितीय अपील सुनने हेतु निगम के अध्यक्ष/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय (यदि दोनों एक ही पद हो तो) अधिकृत होंगे।
40. अनुबंध कियान्वयन शर्तों एंव अनुबन्ध की विवेचना के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के बीच किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामले के निपटारे के लिए प्रथम पक्ष (निगम) के आदेशांक 781 दिनांक 03.10.2017 द्वारा गठित स्टैंडिंग कमेटी जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक(Chair Person), वित्तीय सलाहकार, संबंधित विभागाध्यक्ष, कार्यकारी निदेशक(विधि) तथा संबंधित विभाग का प्रभारी अधिकारी सदस्य सचिव सम्मिलित हैं, के समक्ष प्रस्तुत किये बिना एंव उस पर निर्णय पारित हुए बिना वाद किसी न्यायालय में नहीं ले जा सकेंगे। उक्त दोनों पक्ष यह जानते हैं कि प्रथम पक्ष की स्टैंडिंग कमेटी ही उत्पन्न विवाद का निपटारा /निर्णय करेगी एंव इसके लिए दोनों पक्ष सहमति व्यक्त करते हैं। न्यायालय का कार्यस्थल क्षेत्र जयपुर होगा।
41. बोली की वेधता अवधि 120 दिवस होगी।
42. बोली की वेधता अवधि 120 दिवस होगी।
43. **RTPP Act 2012 & Rules 2013** के प्रावधान लागू होंगे।
44. संलग्न घोषणा पत्र को भरकर (प्रस्ताव) प्रपत्र के साथ संलग्न करें। मैंने उक्त सभी शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है तथा उक्त सभी शर्तें मुझे स्वीकार्य हैं।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

परिवहन मार्ग, मुख्यालय जयपुर।

निगम की लगभग 3000 ब्लू लाइन साधारण एवं द्रुतगामी वाहनों जिनमें निगम द्वारा अनुबंधित वाहनें भी शामिल हैं, के बैक पैनल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु ई-बोली:-

ई-तकनीकी बोली-प्रपत्र

बोली प्रपत्र संख्या:-एफ159-॥ /मुख्या/विके/20/ दिनांक

बोली प्रपत्र की राशि जमा रूपये 400/- (अक्षरे
रूपये चार सौ मात्र)
डी.डी. सं0..... दिनांक.....

1. फर्म/व्यक्ति का नाम व पूर्ण पता:-

2. टेलीफोन नम्बर/मो0:-

कार्यालय:-

निवास:-

3. टेलेक्स नं0:-

4. धरोहर राशि:-

रूपये— अक्षरे—

5. ड्राफ्ट/वैकर्स चैक संख्या व दिनांक

6. फर्म/कम्पनी का नाम एवं पूरा पता एवं रजिस्ट्रेशन नं.

7. बैक का नाम, खाता संख्या, ब्रांच, आई.एफ.एस. संख्या

8. बोली दाता की चल/अचल संपत्ति का विवरण सत्य प्रति सहित संलग्न करें।

9. बोली प्रपत्र के अनुसार संलग्न दस्तावेजों की संख्या एवं विवरण।

पूरा नाम:-

हैसियत:- मालिक/पार्टनर

पूर्ण पता:-

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

परिवहन मार्ग, मुख्यालय जयपुर।

निगम की लगभग 300

० ब्लू लाइन साधारण एवं द्रुतगामी वाहनों जिनमें निगम द्वारा अनुबंधित वाहने भी शामिल हैं, के बैक पैनल पर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु ई-बोली:-

ई-वित्तीय बोली-प्रपत्र

बोली प्रपत्र संख्या:-एफ159-॥ / मुख्या / विके / 20 /

दिनांक

बोली प्रपत्र की राशि जमा रूपये 400/- (अक्षरे
रूपये चार सौ मात्र)
डी.डी. सं0..... दिनांक.....

1. फर्म/व्यक्ति का नाम व पूर्ण पता

2. टेलीफोन नम्बर/मो0:-
कार्यालय:-
निवास:-

3. टेलेक्स नं0:-

4. धरोहर राशि:-

रूपये----- अक्षरे-----

5. ड्राफ्ट/वैकर्स चेक संख्या व दिनांक
देय लाइसेंस

राशि

रूपये

प्रतिमाह

अक्षरे-----

7. फर्म/कम्पनी का नाम एवं पूरा पता एवं रजिस्ट्रेशन नं.

8. बैक का नाम, खाता संख्या, ब्रांच, आई.एफ.एस. संख्या-

घोषणा—पत्र

बोली दाता द्वारा इस घोषणा पत्र को भरकर डीजीटल हस्ताक्षर किये जाने अनिवार्य है।

1. मैं/हम नम्बर— डी.डी./बैंकर्स चैक
 रूपये— दिनांक— राष्ट्र
 —— जो कि वित्तीय सलाहकार राजरथान राज्य पथ परिवहन निगम के नाम देय है
 संलग्न कर रहे हैं/कर दिया है।
2. मैं/हमने निगम की समरत षर्टों को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया/सुन लिया है तथा
 इन सभी षर्टों की पालना का वचन देता हूँ/देते हैं। हमारा प्रस्ताव निगम द्वारा
 खीकार कर लिया जाता है तो मैं/हम निगम के साथ दिये गये प्रारूप आधार पर
 अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर कर दूंगा/देंगे।
3. मैं/हम घोषणा करता/करते हैं/हूँ कि मैं/हमने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उसमें
 किसी अन्य संरथा को कोई सरोकार नहीं है तथा यह प्रस्ताव किसी अन्य
 व्यक्ति/संरथा की तरफ से नहीं दिये गये हैं।
4. मैं/हम वचन देता/देते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत यह प्रस्ताव चार माह की
 अवधि तक लागू रहेगा।

दिनांक:-

हस्ताक्षर—बोलीदाता

मय पद/हैसियत व मोहर सहित

ANNEXURE- A COMPLIANCE WITH THE CODE OF INTEGRITY AND NO CONFLICT OF INTEREST

- Any person participating in a procurement process shall
- a) not offer any bribe reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.
 - b) not misrepresent or omit that mislead or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.
 - c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process.
 - d) not misuse any information shared between the procuring entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the Procurement process.
 - e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the Procurement process.
 - f) not obstruct any investigation or audit of a Procurement process.
 - g) disclose conflict of interest, if any and
 - h) disclose any previous transgressions with any Entity in india or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

CONFLICT OF INTEREST :

The Bidder participating in a bidding process must not have a conflict interest. A conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliances with applicable laws and regulations.

A Bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but limited to :

- a) have controlling partners/shareholders in common; or
- b) receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- c) have the same legal representative for purposes of the Bid; or
- d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder or influence the decision of the Procuring Entity regarding the Bidding process; or
- e) the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process.
Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the bidder is involved. however, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f) the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in charge/consultant for the contract

Signature of tenderer with seal

ANNEXURE- B
DECLARATION BY THE BIDDER REGARDING QUALIFICATIONS
DECLARATION BY THE BIDDER

In relation to my/our Bid submitted to

..... for procurement of
..... in response to their notice inviting Bid
No. Dated I/We hereby declare under
Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that;

01. I/we possess the necessary professional, technical, financial and
managerial resources and competence required by the Bidding Document
issued by the Procuring Entity;

02. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to
the Union and the State Government or any local authority as specified in the
Bidding Documents;

03. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not
have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have
my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings
for any of the foregoing reasons;

04. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted
of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making
of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to entire to
a procurement contract within a period of three years preceding the
commencement of this procurement process, or not have been otherwise
disqualified pursuant to debarment proceedings;

05. I/we do not have conflict of interest as specified in the Act, Rules and the
Bidding Document, which materially affects fair competition;

Signature of

Date :

Bidder with seal

Place :

Name :
Designation :
Address :

ANNEXURE- C

GRIEVANCE REDRESSAL DURING PROCUREMENT PROCESS

As per bid condition No. 39.

01. Filing an appeal

If a Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provision to the provision of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to first Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved.

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

02. The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

03. If the officer designation under para (1) fails to dispose the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

04. Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :

- a) determination of need of procurement;
- b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- c) the decision of whether or not to enter into negotiation;
- d) cancellation of a procurement process;
- e) applicability of the provisions of confidentiality.

05. Form of Appeal

- a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

06. Fee of filing appeal

- a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

07. Procedure for disposal of appeal

a) The first Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, Shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

Signature of tenderer with seal

b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be shall,-

(i) here all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(iii) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(iv) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement

d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement
Portal.

Signature of tenderer with seal

ANNEXURE- D

ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT

01. Correction of arithmetical errors :

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis :

- (i) if there is discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.
- (ii) if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- (iii) if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bids does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

02. Procuring Entity's Right to Vary Quantities :

- (i) At the time of award of contract, the quantity of goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. it shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply, if the suppliers fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Suppliers.

03. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of Procurement of Goods) :

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is

YARAD

YARAD

Q

Tender Inviting Authority: EXECUTIVE Director (Administration)

Name of Work: Advertisement on the Back Panel of Approx. 3350 blue line, ordinary and express buses.

Contract No: F-158-II/HO/Admin/Advt/36 Date: 13.01.2020

Name of the
Bidder/ Bidding
Firm /
Company :

This BCC template must not be modified/replaced by the bidder and the same should be uploaded through the online portal and may be rejected for this tender. Bidders are allowed to enter the Bidder Name and Address only.

PRICE SCHEDULE

Sl. No.	Item Description	Basic Rate in Figures To be TOTAL AMOUNT In Words entered by the Bidder per Bus Per Month in
1		Rs. 30/- Only
2	Advertisement on the Back Panel of approx 3350 blue line, ordinary and express buses.	Rs. 30/- Only

Total in Figures:

Quoted Rate in Words